संख्या- 214/पचासी-14-187(परती)/2013

प्रेषक,

राकेश कुमार ओझा
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
भू-मित्र भवन, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2014

विषय:- वाहय सहायति परियोजना में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु क्षमता विकास के लिए आई0एम0ए0 इण्टरनेशनल द्वारा नैरोबी (कीनिया) मे आयोजित 'मानिटरिंग एण्ड इवोल्यूशेन फार रिजल्ट' विष्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जाने के लिए अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 7सी/11/2013-14/206, दिनांक 14 मार्च, 2014 द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2014 से 11 अप्रैल, 2014 तक आई0एम0ए0 इण्टरनेशनल द्वारा नैरोबी (कीनिया) मे आयोजित 'मानिटरिंग एण्ड इवोल्यूशेन फार रिजल्ट' 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शासकीय अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है

2- इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निगम में कार्यरत श्री आलोक गुप्ता, सामान्य प्रबन्धक, श्री नवीन चतुर्वेदी, वरिष्ठ प्रबन्धक, (अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लर्निग) एवं श्री प्रवीन टण्डन, वरिष्ठ प्रबन्धक, (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), उ0प्र0 भूमि सुधार निगम को दिनांक 31 मार्च, 2014 से 11 अप्रैल, 2014 तक नैरोबी (कीनिया) में प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किये जाने हेतु विदेश यात्रा की अनुमति कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या- 1/3/98-काप्रसको/1999, दिनांक 14 जून, 1999, शासनादेश संख्या- 1/3/98-काप्रसको/2000, दिनांक 18 दिसम्बर, 2000 एवं शासनादेश संख्या- 1/3/98-काप्रसको-2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 एवं शासनादेश संख्या- 1/3/98-काप्रसको/2012, दिनांक 18 मई, 2012 में उल्लिखित नियमों के अन्तर्गत इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सम्बन्धित अधिकारी विदेश यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों से आवश्यक अनापत्ति (क्लीयरेंस) प्राप्त कर लेगें।

3- उपरोक्त विदेश यात्रा मे होने वाले व्यय भार उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा उत्तर सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन-।।। के प्रोजेक्ट फण्ड से वहन किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस विदेश् यात्रा के सम्बन्ध में वायुवान की श्रेणी तथा दैनिक भत्ते की अनुमन्यता वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- जी-2-1877/दस-2005-600/99 टी0सी0-।। दिनांक 10 जनवरी, 2006 में उल्लिखित प्राइज़ के अनुसार अनुमन्य होगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
सचिव।

संख्या- 214(1)/पचासी-14-187(परती)/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) अनु सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(2) सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय/विदेश मंत्रालय/कार्मिक लोक शिकायत तथा पेशंन मंत्रालय, नई दिल्ली ।

(3) उप सचिव, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय (पी0वी0 अनुभाग) नई दिल्ली/रेजीडेन्ट कमिशनर, उ0प्र0 शासन, अम्बादीप बिल्डिंग, नई दिल्ली।

(4) प्रमुख सचिव, परती भूमि विकास विभाग/प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन/ महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद/प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(5) नियोजन अनुभाग-2/ प्रबन्धक (प्रशासन) प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0, 29 पार्क रोड, लखनऊ।

(6) सम्बन्धित अधिकारीगण को इस आशय से प्रेशर कि वे प्रशनगत यात्रा की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर भारत सरकार के मंत्रालयों से क्लीयरेन्स की प्रतियां, तथा भ्रमण रिपोर्ट एवं विभाग से अवमुक्त होने की तिथि (पूर्वान्ह/ अपरान्ह) शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार ओझा)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in